न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी ::99 / 2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017 / 00366

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. मोहनलाल पुत्र श्री गंगाविशन जाति ब्राहम्ण 2. बाबुलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. श्रीमति शांतिदेवी शर्मा पत्नी श्री कानाराम जाति ब्राहम्ण 2. कानाराम पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली 3. सरपंच ग्राम पंचायत बलाडा तहसील जैतारण

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल जी प्रजापत
अप्रार्थी की ओर से श्याम सुन्दर पंचारिया

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 11-11-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 शांति देवी शर्मा पत्नी श्री कानाराम जाति ब्राहम्ण के हक में ग्राम पंचायत बलाड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 38 / 19.2.2013 निरस्त कराने हेतु विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किया गया एवं अप्रार्थीगण को तलब कर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण दिनांक 1.11.2021 को एवं बहस अधिवक्ता अप्रार्थी दिनांक 8.11.2021 को सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी मोहनलाल पुत्र गंगाविशन ब्राहम्ण निवासी बलाड़ा का एक कब्जासुदा रहवासी स्वयं का मकान है जिसा नाप 19 फिट 9 इंच बाई 47 फिट 6 इंच है। क्षेत्रफल 932 वर्गफुट है। जो मोहनलाल की कमाई से निर्मित है मकान में प्रार्थीगण निवास कर रहे है मोहनलाल की तबियत ठीक नहीं होने से अपने पुत्र बाबूलाल शर्मा के व पुत्रवधु अणदी देवी के साथ सोजत में निवास कर रहे है क्योंकि उसका दूसरे पुत्र कानाराम व उसकी पत्नी शांतिदेवी शर्मा ब्राहम्ण उनकी सेवाचाकरी नहीं करते दोनों ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है उन्होंने मकान हड़पने की नियत से प्रार्थी पर दबाव भी डालते रहे है तथा जैर निगरानी मकान उन्हें सौंप देने की धमकियां दे रहे है कि हम आपके विरूद्ध झूठे मुकदमें कर उनमें फंसा देंगे। अप्रार्थी संख्या 1 की सम्पति को लेकर पूर्व में भी प्रकरण न्यायालय में चले है अप्रार्थी के पक्ष में मोहनलाल के पिता ने सम्पति हस्तान्तरण नहीं की तो षड़यंत्र पूर्ण ग्राम पंचायत से मिलावट कर बाले बाले जैर निगरानी मकान का पट्टा संख्या 38 मिसल संख्या 2012–13 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 16.2.2013 पारित करवा कर दिनांक 10.2.2013 को पट्टा बनवा दिया जबकि प्रार्थी मोहनलाल पिता के जिवित रहते उसके पुत्र व पुत्रवधु को उक्त सम्पति के कानूनी हक नहीं है जब तक कि मोहनलाल उक्त सम्पति को हस्तान्तरित न कर दे इस प्रकार जैर निगरानी आराजी का पट्टा बनाना विधिविरूद्ध होने से काबिल खारिज है विक्रय विलेख पट्टा संख्या 38 यह प्रस्ताव पारित कर जारी किया गया कि प्रार्थीया का वादग्रस्त सम्पति पर 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा है पुराना घर बना हुआ है तथा उकत प्रस्ताव की पालना में 200 / – रूपये फीस लेकर विक्रय विलेख जारी कर दिया जबकि शान्तिदेवी मोहनलाल की पुत्रवधु है जिसका पुश्तैनी मकान ससुराल में हो ही नहीं सकता है जबकि प्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल उसका ससुर है व जिवित है। इस प्रकार से विक्रय विलेख पंचायत द्वारा जारी [illegible] गया है उसे निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थीया शान्ति देवी ने जैर निगरानी [illegible] विलेख जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत ने नियम 145 के तहत [illegible] निरीक्षण शुल्क जमा नही कराया ग्राम पंचायत के सचिव को नक्शा बनाने हेतु आदेश नहीं दिया ग[illegible] वार्ड पंचों की कमेटी का गठन नहीं किया गया न [illegible] वार्ड पंचों द्वारा बाद [illegible] रिपोर्ट ही पेश की गई है सरपंच व सचिव को जानकारी होने के बावजूद कि यह मोहनलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:32:57 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश..................2

जिला कलेक्टर, पाली

का मकान है शांतिदेवी द्वारा अपने स्वामित्व का होने का कोई सबूत पेश नहीं करने के बावजूद भी पट्टा बना दिया जो निरस्त योग्य है। श्रीमती शान्तिदेवी के एक झूठे शपथ पत्र की प्रति एवं पट्टा संख्या 38 की सत्यप्रति प्राप्त कर यह निगरानी पेश की गई एवं निवेदन है कि इस प्रकार जारी विधिविरूद्ध पट्टे को निरस्त फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी मकान मोहनलाल द्वारा रजिस्टर्ड बख्शीशनामा पूर्व में ही कराया हुआ है जो सिविल न्यायालय द्वारा भी निरस्त किया है तथा प्रार्थी कानाराम जो शांति देवी का पति है उसके हक में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड बख्शीशनामें की फोटोप्रति भी पेश की है वकील अप्रार्थी द्वारा मिसल कायम कर प्रक्रिया का पालन कर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना बताया गया एवं निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा यथाावत रखा जावे।

बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया इस पंचायत निगरानी के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. क्या उक्त जमीन पर अप्रार्थिया शान्ति का पुराना कब्जा है?
2. क्या पट्टा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन कर जारी किया गया है ?

जैर निगरानी सम्पति श्री मोहनलाल जो अप्रार्थिया का ससुर है उनकी है तथा पुश्तैनी मकान का कब्जा साबित करने के लिए मिसल पर बयान आदि देने वालो के हस्ताक्षर नहीं है ऐसे बयान जिस पर दिनांक अंकित नहीं है न ही बयान देने वाले के हस्ताक्षर है उन्हें प्रकरण में रेकर्ड पर सही मान कर पुराने कब्जे का आधार नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थिया शान्ति देवी का पुराना कब्जा होने बाबत अन्य कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर पेश नहीं किए गए है पुराना कब्जा सिद्ध नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

मिसल अवलोकन से स्पष्ट है कि मिसल पर आदेशिकाओं में दिनांक अंकित नहीं है अप्रार्थीगण द्वारा पंचायत में जो प्रार्थना पत्र पेश किया उसका नक्शा बना हुआ नहीं है तथा पड़ोस अंकित नहीं है। तीन वार्ड पंचों द्वारा जो निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई उस पर किसी वार्ड पंच के हस्ताक्षर नहीं है। न ही सरपंच के हस्ताक्षर है। जो नक्शा ग्राम सचिव द्वारा बनाकर शामिल मिसल किया गया उस पर भी सरंपच के हस्ताक्षर नहीं है। आक्षेप नोटिस पर क्रमांक दिनांक नहीं है पंचायत की मोहर नहीं है तथा उसके पृष्ठ भाग पर चस्पानगी रिपोर्ट व मौतबिरानों के हस्ताक्षरों का अभाव है। बयान जिन गवाहों के लिए गए उनके बयान फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं है इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जाना सिद्ध होने से पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। एवं ग्राम पंचायत बलाड़ा के मिसल संख्या 2012–13, तथाकथित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 16.01.2013 एवं पट्टा संख्या 38 दिनांक 19.2.2013 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2022.01.30 09:32:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली